भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 524

जिसका उत्तर 22 जुलाई, 2026 को दिया जाना है

ऊर्जा सुरक्षा के लिए कोयला गैसीकरण को बढ़ावा देना

524. श्री डी. एम. कथीर आनंद:

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पूरे देश में स्वीकृत की गई, कार्यान्वित हो रही और प्रस्तावित कोयला गैसीकरण परियोजनाओं की स्थिति क्या है और इन परियोजनाओं से तरलीकृत प्राकृतिक गैस, मेथनॉल, अमोनिया, उर्वरक और अन्य औद्योगिक कच्चे माल के आयात पर निर्भरता कितनी कम होने की अपेक्षा है;

(ख) देश की ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करने, घरेलू कोयला संसाधनों में मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने और रसायन, पेट्रोरसायन, उर्वरक, हाइड्रोजन और स्वच्छ-ईंधन उत्पादन जैसे डाउनस्ट्रीम क्षेत्र के विकास में सहायता करने के लिए कोयला गैसीकरण की क्या भूमिका नियत की गई है;

(ग) सरकार ने तकनीकी अतंरण को सरल बनाने, निवेश को आकर्षित करने और कोयला गैसीकरण परियोजनाओं की स्थापना में तीव्रता लाने के लिए कौन-से नीतिगत उपाय अपनाए हैं;

(घ) सरकार द्वारा पिछले पांच वर्षों के दौरान कोयला गैसीकरण को बढ़ावा देने वाली योजनाओं और संबंधित कार्यक्रमों के अंतर्गत दी गई वित्तीय सहायता, प्रोत्साहन और सहायता का वर्षवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा ऐसी परियोजनाओं के परिणामस्वरूप होने वाले निवेश जुटाने, रोज़गार के अवसरों, निवेश स्थानापन्न और औद्योगिक विकास के बारे में तैयार किए गए आकलन क्या हैं?

उत्तर

कोयला और खान राज्य मंत्री

(श्री सतीश चन्द्र दुबे)

(क) : 8,500 करोड़ रुपए की वित्तीय प्रोत्साहन स्कीम के अंतर्गत आठ (8) कोयला गैसीकरण परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं और जो कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। इनमें सरकारी क्षेत्र की तीन परियोजनाएं, निजी क्षेत्र की तीन परियोजनाएं और दो लघु स्तर की उत्पाद-

आधारित परियोजनाएं शामिल हैं। जिंदल स्टील लिमिटेड की एक परियोजना का वित्तीय समापन हो चुका है और निर्माण चरण में है, जबकि शेष परियोजनाएं वित्तीय समापन, सांविधिक स्वीकृतियां, प्रौद्योगिकी को अंतिम रूप देने, निविदा और परियोजना कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

आठ स्वीकृत परियोजनाओं से आयातित एलएनजी/एसएनजी, अमोनियम नाइट्रेट, एसिटिक एसिड और इथेनॉल को प्रतिस्थापित करके औद्योगिक फीडस्टॉक और ईंधन के आयात पर निर्भरता कम होने की अपेक्षा है, जबकि डीआरआई के घरेलू उत्पादन के माध्यम से आयातित कोकिंग कोयले पर निर्भरता भी कम होगी। इन परियोजनाओं के चालू होने पर प्रति वर्ष लगभग 16,500 करोड़ रुपये की अनुमानित विदेशी मुद्रा बचत होने की अपेक्षा है।

(ख) : स्वदेशी उत्पादन के माध्यम से ईंधनों, उर्वरकों, पेट्रोरसायनों, प्राकृतिक गैस और औद्योगिक फीडस्टॉक्स के आयात पर निर्भरता को कम करके देश की ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए कोयला/लिग्नाइट गैसीकरण की परिकल्पना की गई है। इससे घरेलू कोयला संसाधनों के मूल्यवर्धन को बढ़ावा मिलने और रसायन, पेट्रोरसायनों, उर्वरक, हाइड्रोजन और स्वच्छ ईंधन उत्पादन जैसे डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों को सहायता मिलने की भी अपेक्षा है।

(ग) : कोयला गैसीकरण परियोजनाओं के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को सुकर बनाने के लिए मंत्रालय ने भारत के साथ भू-सीमा साझा करने वाले देशों की कंपनियों से प्रौद्योगिकी के अंतरण (टीओटी) के लिए उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के साथ पंजीकरण की आवश्यकता से मामला-दर-मामला छूट प्रदान करने के लिए एक ढांचा तैयार किया है। इस ढांचे के तहत, वित्त वर्ष 2024 के दौरान मैसर्स देव टेक्नोफैब लिमिटेड को पहली छूट प्रदान की गई थी, जिससे उन्नत कोयला गैसीकरण प्रौद्योगिकियों तक पहुंच की सुविधा प्राप्त हुई थी।

(घ) : सरकार ने कोयला गैसीकरण को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित वित्तीय सहायता, प्रोत्साहन और नीति एवं विनियामक सहायता शुरू की है -

वित्तीय वर्ष	**नीतिगत उपाय**
वित्तीय वर्ष 2022	गैसीकरण के लिए उपयोग किए जाने वाले कोयले के लिए वाणिज्यिक कोयला ब्लॉक नीलामी के तहत राजस्व हिस्सेदारी में 50% की छूट की शुरुआत की गई, जो गैसीकरण के लिए कुल कोयला उत्पादन के कम से कम 10% के उपयोग के अध्यधीन है।
	गैर-विनियमित क्षेत्र (एनआरएस) कोयला लिंकेज नीलामी नीति के तहत एक समर्पित "कोयला गैसीकरण से सिनगैस का उत्पादन" उप-क्षेत्र सृजित किया गया।

वित्तीय वर्ष 2024	कोयला/लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने और परियोजना के पूंजीगत व्यय पर 15% की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कोयला/लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं को बढ़ावा देने हेतु 8,500 करोड़ रुपये की स्कीम को मंजूरी दी गई।
वित्तीय वर्ष 2025	विनियमित क्षेत्र के अधिसूचित मूल्य पर पात्र गैसीकरण परियोजनाओं के लिए एनआरएस लिंकेज नीलामी के तहत कोयले की आपूर्ति को सक्षम बनाया गया।
वित्तीय वर्ष 2026	भूमिगत कोयला गैसीकरण (यूसीजी) के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान किए गए, जिसमें न्यूनतम मूल्य में कमी, अग्रिम भुगतान से छूट और निष्पादन बैंक गारंटी में छूट देना शामिल है।
	कैप्टिव उत्पादन से परे शेष कोयले की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एनआरएस लिंकेज नीलामी में भाग लेने हेतु गैसीकरण परियोजनाओं को अनुमति दी गई।
	डीपीआईआईटी ने मैसर्स झोंगशी केमिकल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (इस तरह का पहला पंजीकरण) को पंजीकरण प्रदान किया, जिससे प्रौद्योगिकी लाइसेंसकर्ता और ईपीसी ठेकेदार के रूप में इसकी भागीदारी संभव हो सकी।
	डीओई ने 2 वर्ष की अवधि के लिए वित्तीय प्रोत्साहन स्कीम के तहत सभी 7 कोयला गैसीकरण परियोजनाओं को जीएफआर के नियम 144 (xi) के तहत प्रतिबंधों से सीमित छूट (मदों की 6 श्रेणियां) प्रदान की।
वित्तीय वर्ष 2027	सतही कोयला/लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए 37,500 करोड़ रुपये की स्कीम को मंजूरी दी और स्कीम संबंधी दिशानिर्देश और प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) जारी किए।
	एनआरएस लिंकेज नीति के तहत गैसीकरण परियोजनाओं के लिए कोयला लिंकेज अवधि को 15 वर्ष से बढ़ाकर 30 वर्ष कर दिया गया है, जिससे दीर्घकालिक ईंधन सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

(ङ) : कोयला गैसीकरण परियोजनाओं से तैयार किए गए अनुमान और अपेक्षित लाभ निम्नानुसार हैं -

अपेक्षित लाभ		
मानदंड	**प्रोत्साहन स्कीम दिनांक 24.01.2024**	**प्रोत्साहन स्कीम दिनांक 13.05.2026**
परियोजनाओं की अपेक्षित संख्या	8 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई (~₹6,233 करोड़ निर्धारित किए गए)	~25 परियोजनाएं

अपेक्षित निवेश प्राप्ति	~ 8 स्वीकृत परियोजनाओं में ₹65,000 करोड़	~₹ 2.5 - 3 लाख करोड़
कोयले का वार्षिक उपयोग	8 स्वीकृत परियोजनाओं में ~12 मि.ट.	~75 मिलियन टन प्रति वर्ष
रोजगार सृजन (प्रत्यक्ष + अप्रत्यक्ष)	8 स्वीकृत परियोजनाओं में ~3000	~50,000
विदेशी मुद्रा विनिमय बचत	~ वित्त वर्ष 2030 तक 8 स्वीकृत परियोजनाओं में ₹16,500 करोड़	मियाद पूरी होने पर ₹1.5 लाख करोड़ वार्षिक
